RAJYA SABHA

Wednesday, the 21 *December,* 2005/30 *Agrahayana,* 1927 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जहानाबाद जेल पर हमला

@*401. **श्रीमती सुषमा स्वराज:††**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहानाबाद की नक्सली घटना के बाद सरकार नेपाल के साथ मिलकर माओवादियों से लड़ने की कोई संयुक्त नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अभी तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): (क) से (ग) जहानाबाद घटना में नेपाल के माओवादियों की संलिप्तता जानकारी में नहीं आई है। तथापि, भारत और नेपाल के एक-दूसरे से संबंधित मामलों पर आपस में बातचीत करने और सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन के मुद्दों पर सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए दोनों के बीच द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है।

@14 दिसम्बर, 2005 से स्थानांतरित।

†† सभा में यह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया।

Jehanabad jail attack

@†*401. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:††

SHRI AJAY SINGH CHAUTALA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating on formulating any joint policy with Nepal to combat Maoists after the incident committed by naxalites in Jehanabad;

(b) if so, the steps taken so far in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PAIL): (a) to (c) Involvement of Maoists from Nepal has not come to notice in the Jehanabad incident. However, there exist bilateral mechanisms between India and Nepal for interaction and exchange of information on security and border management related issues of mutual concern.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to thank the hon. House, your good self, and the hon. Member for helping me to overcome my difficulty in speaking out in this House before I reply to this question.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सबसे पहले तो मुझे खुशी है और भगवान का शुक्र है कि गृह मंत्री जी का गला ठीक हो गया और मेरा उत्तर देने की स्थिति में हैं।

सभापति जी, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि जहानाबाद घटना में नेपाल के माओवादियों की संलिप्तता जानकारी में नहीं आई है। गृह मंत्री जी, मैंने तो कभी यह बात कही ही नहीं थी और न पूछा था कि क्या जहानाबाद की घटना में नेपाल के लोगों की कोई संलिप्तता है। मैंने तो यह प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि नेपाल भी माओवाद से लड़ रहा है, भारत भी माओवाद से लड़ रहा है और इन दोनों संगठनों में वैचारिक समानता भी है और नेपाल और भारत में भौगोलिक समीपता भी है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्योंकि जब भारत के माओवादी एक रैड कॉरीडोर बनाने की बात करते हैं, जो आन्ध्र से नेपाल तक जाता है, तो क्या

@ Postpond from 14th, December, 2005.

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Sushma Swaraj

हम यह महसूस नहीं करते कि इस तरह के रैड कॉरीडोर से निबटने के लिए हमें कोई संयुक्त नीति, नेपाल के साथ मिलकर बनाने की जरूरत है और अगर हम यह महसूस करते हैं तो हमने आज तक इस पर क्या कार्रवाई की है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन, इस प्रश्न का पहला जो हिस्सा था उसमें पूछा गया था कि Whether the Government are contemplating on formulating any joint policy with Nepal to combat Maoists after the incident committed by naxalites in Jehanabad.

ऐसा माना गया है, ऐसा समझा जा रहा है कि जहानाबाद में जो हुआ नेपाल के माओवाद की मदद से, इसलिए इसमें बताया गया अन्यथा कोई कारण नहीं था उसमें। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश में हो रही हैं और नेपाल और उत्तर प्रदेश, बिहार और उससे लगे हुए दूसरे प्रांतों में अगर हो रहा है तो एक संयुक्त नीति उसका मुकाबला करने के लिए बनाने की आवश्यकता है। मगर सदन के मालूमात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की नीतियां हमारे पास कुछ बनी हुई हैं। उसके ऊपर कुछ और ज्यादा कदम उठाना कदम उठाना जरूरी है या नहीं, जैसा-जैसा समय बीतता जाएगा, वैसा-वैसा हम कर सकते हैं। हमने यह ध्यान में लिया है कि नेपाल के माओवादी और भारत के जो माओवादी हैं, उनमें वैचारिक सम्पर्क है, एक-दूसरों से वे बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग के संबंध में भी वे एक दूसरे को कभी-कभी मदद करते हैं। मगर वहां के माओवादी यहां आए या यहां के माओवादी वहां गए और वहां पर उन्होंने कुछ गतिविधियां की, इस प्रकार की मालूमात आज तक नहीं हुई और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हैं। मगर जिस प्रकार से आप कह रही हैं, अगर आतंकवाद और घृणा का वातावरण कहीं भी फैलता है, तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बातचीत करके उसके खिलाफ कारगर कदम उठाना जरूरी है। उस प्रकार से सरकार ने कदम उठाए भी हैं और आगे चलकर उससे ज्यादा कदम उठाने के लिए सरकार की तैयारी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, क्षमा करिए, मुझे बहुत ही निराशा हुई मंत्री जी की यह बात सुन करके कि संयुक्त नीति बनाने की जरूरत तो है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा हम करेंगे। कहते हैं कि -"खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।"

कितना समय और बितवाना चाहते हैं आप, जब आप यह महसूस करते हैं कि हमारे और उनके बीच में वैचारिक समानता है और हम यह मानते हैं कि बिहार नेपाल से दूर नहीं, बिहार झारखंड से दूर नहीं, झारखंड छत्तीसगढ़ से दूर नहीं और छत्तीसगढ़ आन्ध्र से दूर नहीं और आन्ध्र से नेपाल तक का यह रैड कॉरीडोर बन चुका है? आप मुझे यह तो बता दीजिए कि वह सही समय कब आयेगा? आप कह रहे हैं कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, अगर संयुक्त नीति बनानी है,

तो इससे बड़ा और कौन सा समय होगा? सभापति जी, जहानाबाद का आपरेशन आज तक का सबसे बड़ा नक्सलवादियों का आपरेशन था। इसीलिए मुझे गृह मंत्री जी बता दीजिए कि कब वह समय आयेगा, जिसको आप उपयुक्त समय मानेंगे, जब आपको यह नीति बनाने की आवश्यकता महसूस होगी?

श्री शिवराज वी. पाटिल: सर, ऐसा माना जा रहा है कि हमारी कोई नीति ही नहीं है। हम आगे चलकर नीति बनाने जा रहे हैं, यह बात सही नहीं है। हमारी नीति है और उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। आप यह जरूर पूछ सकती हैं कि हमारी नीति में क्या बताया गया है और किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं...।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यही तो मैंने पूछा है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी नीति के मुताबिक जो भी मालूमात, जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास होती है, उसको हम उन्हें देते हैं और उनके पास जो इंटेलिजेंस होती है, वह हमारे पास आ जाती है। उसके बाद उनके जो लोग हैं, उनकी पुलिस फोर्स है, उनकी आर्मी के लोग हैं, उनको इसका मुकाबला करने के लिए खास प्रकास की ट्रेनिंग देना आवश्यक है, उस प्रकार की ट्रेनिंग भी उनको हमारे इंस्अीटयुशन्स में दी जा रही है उसके बाद यह जो एक दूसरे के खिलाफ यहां पर आ कर, रह कर जो काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पुलिस को और उनकी पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, उनको ले जाने के लिए भी मदद करते हैं। इसके बारे में चर्चाएं हमारे सेक्रेटरी लेवल पर होती हैं, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर भी होती हैं और इस संबंध में फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर भी चर्चाएं हुई हैं और हमारे प्रधान मंत्री और वहां के जो राजा हैं, उनके लेवल पर भी बातचीत हुई है मैं जो आपको कह रहा हूं, अगर उसको सही ढंग से लिया जाये, पहले जो कदम उठाये गये हैं, उनके परिणाम भी हमको अच्छे मिल रहे हैं। मैं यही कहने जा रहा था कि अगर इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, तो हम वह भी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश से, जो नेपाल की सेना है और पुलिस है, उसको हथियार से भी मदद करते थे, जब तक वहां पर डेमोक्रेसी थी, तब तक हमारे यहां से हथियार भी जाते थे और उनको हमने यहां तक भी मदद की थी उस मौके पर कि अगर कोई कंट्रोल करने की जरूरत है, तो वह भी कर सकते हैं।

मगर वहां की डेमोक्रेसी वहां से हट जाने के बाद थोड़ा सा रुख बदला हुआ है। इस हालत में भी कदम उठाये जा रहे हैं। मगर ऐसा इम्प्रेशन जाना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज से शुरूआत करके हम आगे चलने वाले हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री अजय सिंह चौटाला: सभापति महोदय, माओवादी और नक्सलवादी नेपाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश से आगे बढ़कर के पिछले दिनों हरियाणा के कैथल जिले तक भी पहुंच गये हैं। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? क्या उनके पास से हथियार पकड़े गये? इसके बारे में मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? वह इसके बारे में सदन को जानकारी देने की कृपा करें।

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन, यह हरियाणा का मामला है और इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए। अगर वहां पर कुछ हुआ है, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मगर मैं यहां पर यह बात भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग हाथ में हथियार लेकर दूसरों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं और डराने के लिए बोल देते हैं कि हम नक्सलाइट्स हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: यह आपने अच्छा जवाब दिया है।

SHRI R.K. ANAND: Mr. Chairman, Sir, a number of incidents have taken place in this year. In June this year, 400 suspected Maoists attacked the Police Station in Madhuban village in Bihar. Naxal cadres from Andhra Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and Bihar had participated in the Jehanabad attack also. Is it correct that 150 out of India's 593 districts are officially categorised as Naxal-affected, and Naxals are not only having their own weapon factories in North Bihar, but they are also getting weapons from unlicensed weapon-manufacturing units in Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand and Bihar?

श्री शिवराज वी. पाटिल: चैयरमैन सर, इसके ऊपर काफी चर्चा यहां पर हुई है और उस चर्चा में जो मुख्य मुद्दा आया था, वह यह था कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स पर नक्सलवादियों का प्रभाव है और इसके जवाब में उत्तर दिया गया था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव अफेक्टिड है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टिड है, यह मानना गलत है।

इसलिए कितने गांव अफेक्टिड हैं, कितने पुलिस थाने अफेक्टिड हैं और कितने ताल्लुके अफेक्टिड हैं, यह देखना जरूरी होगा। अब यहां पर ऐसा हो रहा है कि एक गांव या ताल्लुका भी अफेक्ट हो गया तो उसको उसी लिस्ट में जोड़ा जा रहा है कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गए हैं–वह बात सही नहीं है। जहां तक उनके प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, उसमें उन्होंने कहा है कि हथियार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। यह बात सही है कि वे कंट्रीमेड वेपेन्स बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मगर explosives और कुछ improvised varieties of devices and explosives भी वे बना रहे हैं और बाहर से भी हथियार लाने की कोशिश करते हैं। हथियार जब कभी, किसी अटैक में मिल जाते हैं, तो कर रहे हैं। मैंने उस समय भी बताया था कि यह जो प्रोग्रेस हुई है, यह कुल्हाड़ी

से, तलवार से, बंदूक से, रिवॉल्वर तक और फिर राइफल तक मामला आया और आज grenade, landmines और car explosives तक मामला चला गया है बल्कि आज तो वे radio frequencies से भी explossives बना रहे हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है।

डा॰ कुमकुम राय: सर, यह प्रमाणित हो गया है कि नेपाल के माओवादी और बिहार के नक्सलवादियों के बीच आपस में संबंध रहा है। कई बार नेपाल में माओवादी घटना करके घायल हो जाते हैं और पटना में जब अस्पतालों में और निजी चिकित्सकों के यहां छापा पड़ता है, तब वह वहां पकड़े गए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि इन दोनों की आवाजाही और तस्करी की भी तमाम समस्याएं हैं। इसलिए क्या बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर कंटीले तार लगाने की कोई योजना है या इस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि नेपाल के नागरिक यहां पर आ सकते हैं और भारत के वाशिंदे शहरी नेपाल जा सकते हैं, उसके लिए किसी पेपर या वीसा की जरूरत नहीं है। जब ऐसी हालत है तो इस हालत में यहां पर बाड़ लगाने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि बॉर्डर पर हमारी फोर्सिज़ हैं, बहुत अधिक संख्या में हमने वहां पर पोस्ट्स बनायी हैं और वे उनका निरीक्षण करते हैं। करीब एक मील की दूरी पर पोस्ट हमारी पुलिस की है, जो ऐसे काम करने के लिए जो लोग इधर से उधर आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इंतजाम करता है।

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, you know that some parts of North Bengal are connected with Bangladesh; there is also some part of Bhutan and some parts of Nepal attached to it. You know that following the successful operation in Bhutan, millitants of KLO ULFA and others, took shelter in Bangladesh. From there they are maintaining close contacts with the Maoists groups of Nepal. It is found from the newspaper published in Siliguri that KLO organizers and some other militants are being trained by maoists groups in Nepal. I do not know whether Government is aware of this or not. If it is so, at any time a major incident may occur.

MR. CHAIRMAN: Please, put your question. Please, come to your question.

SHRI TARINI KANTA ROY : Sir, I want to know whether Government is aware of this and what steps have been taken in this regard.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have already said that they are not exchanging weapons as such, but they are providing training facilities to

each other. It is a fact that some people from here are being trained in Nepal and some people from Nepal are getting trained here. The Government is aware of this and is taking steps against them. This matter has been brought to notice of Nepal Government. We have also sensitised the State Government to see that this is not allowed to happen. Moreover, we are increasing the number of posts on the border areas, so that they do not easily come here or go out of here. Appropriate, necessary and effective action would be taken.

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो सुषमा जी ने बात कही थी, उसके संबंध में मैं आपको स्पैसिफिकली बताना चाहता हूं कि चम्पारन में जो मधुबन है, उसमें नेपाल के और हमारे बिहार के, दोनों नक्सल लोगों ने साथ मिलकर मधुबन के टाउन में और तमाम जगह एक साथ ऑपरेशन किया था इसके बाद जहानाबाद में हुआ था तो दो हिस्सों में सुषमा जी ने सवाल पूछा था। एक तो नेपाल और हिन्दुस्तान के बीच में जो नक्सल्स हैं, उनके बीच में नक्सल्स हैं, प्रेसिडेंट रुल था, गवर्नर रुल्स था, यह अगस्त महीने की बात है। दूसरा सवाल यह है कि आंतरिक नक्सल्स यानी जो भारत के अंदर नक्सल हैं, उनका इन दोनों तरह की समस्याओं में नेपाल का लिंक है। इसमें नेपाल के लोग बड़ी तादाद में इन्वाल्व हैं इसलिए यह मधुबन में घटना हुई हैं महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह समस्या केवल आंतरिक नहीं बची है, नेपाल भी उसमें बड़े पैमाने पर इन्वाल्व है और मधुबन की घटना आपकी सरकार के जमाने में हुई है। यदि आप उसकी ठीक से छानबीन करेंगे तो आपको बाकायदा यह रिपोर्ट मिलेगी कि उस आपरेशन में दोनों तरफ के नक्सल्स थे जिन्होंने मधुबन में ऑपेरशन किया था।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: जो प्रश्न पूछा गया है मुझे मालूमात यही है और उसके लिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप मालूमात का ध्यान रखिए।

श्री शरद यादव: मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रश्न सुषमा जी ने पूछा है तो आपने कहा कि नेपाल और यहां के मामले में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं वह बात आ गई है।

श्री शरद यादव: इस पर मैंने कहा कि एक मधुबन में हो चुका है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन्, यह बात सही है कि मधुबन में जो हादसा हुआ है, उसके अंदर कुछ लोग नेपाल से यहां पर रहने वाले, यहां से वहां पर थे। इसकी मालूमात हम लोगों को

है। मगर मैं यह बात मधुबन और झारखंड को ध्यान में रखकर नहीं कह रहा था। मैं सम्मानित सदन को यह बताना चाह रहा था कि क्या नेपाल के माओवादी और भारत के माओवादियों में जो संबंध हैं, उन संबंधों में हथियार देना या ऐसे हादसों में हिस्सा लेने का काम करता है। जहां तक हमारी मालूमात है, वह यह है कि वैचारिक दृष्टि से तो एक दूसरे के हिसाब से बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की दृष्टि से भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं मगर हथियार देने की दृष्टि से या हादसे करने की दृष्टि से उन्होंने ज्यादा पहल की है, वह नजर नहीं आता है, वह इन्फार्मेशन नहीं है। यह नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। यह भी हो सकता है। उसके बारे में भी कदम उठाना जरूर है। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा था कि क्या अंतर है?

श्री सभापति: ठीक है।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, my question is a general question. Now, we are talking about naxalites and modernisation of Police Force to face the activities of terrorists. I would like to mention here an important thing that along with the modernisation of Police Force, we need to focus on the law under which the police force has to act. The Indian Police Act is essentially an old Act and this needs to be amended in order to enable the Police Force to act against the new type of crimes which are happening. Therefore, I would like to know from the Home Minister what steps are being taken to amend the Police Act.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: When we try to control the crime in the country, we do not depend only on the Police Act. We have to understand that there is the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act, and the Police Act also helps. The Police Act is made to raise the Police battalions and the Police Force, and to take action in their favour or against them when something has happened; and also to tell them as to how they have to conduct themselves. We have already taken steps to amend the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Law of Evidence also. We are also in the process of amending the existing law. You will please understand that it is not necessary for the Government of India to have a new Police Act. There are States which have enacted their own Police laws and they are using those police law and they are allowed to do that. Up to this time, there are some States which have not enacted their own laws but dependent on the laws which are existing with us. We have appointed a Committee and we are expecting a report from that Committee within six months' time so that a new Police law can be enacted at the national level, and if

the States want to adopt them, they will certainly have the legal right to adopt them. If they want to have their own laws, they can have.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहानाबाद की घटना में बहुत सारी चीजें उभरकर सामने आई हैं और जहानाबाद की घटना जब हुई थी, तो वहां राष्ट्रपति शासन था, इसलिए आप सारी चीजों से अवगत होंगे। वहां पर कई तरह के पोस्टर्स पाए गए, एक पोस्टर में लिखा गया था कि रूस मे नवंबर आंदोलन का हम पालन कर रहे हैं, दूसरे पोस्टर में लिखा गया था कि मई, 2005 में कोलकाता में नक्सलवादियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई थी, उसका बदला लेने के लिए हम यह कार्यवाही कर रहे हैं। महोदय, कोरापुट के थाने की लूट से यह घटना शुरू होती है।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन पर आइए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैं वहीं जहानाबाद पर आ रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह जहानाबाद नहीं है, आप जहानाबाद से बाहर जा रहे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, मैं जहानाबाद आ रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप हवाई जहाज में बैठकर जहानाबाद ...(व्यवधान)... आप जहानाबाद आ रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत है, सीधे रास्ते से आइए ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, दो घटनाएं घटीं, कोरापुट के बाद बहुत से थानों की लूट हुई। ये जो थानों की लूट हो रही है और जिस तरह से घेरकर लूटा गया, अंतत: जहानाबाद में यह कांड हुआ, जिसकी खबर इंटेलिजैंस को थी, तो केन्द्र सरकार की ओर से पहले ही इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह मैं जानना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अभी 14 दिसंबर को नेपाल के बॉर्डर पर माओवादियों ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि LTTE के लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके पास जो हथियार देखे गए, वे Chinese made और Pakistani made थे, इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: सभापति जी, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर बिहार में प्रेजीडेंट रुल था और यह हुआ, तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि बाजू के स्टेट में किसी एक पार्टी का रुल था और यह हुआ यह प्रश्न आतंकवाद का प्रश्न है और अगर हम इस दृष्टि से इसको देखेंगे तो, इसका हल आसानी से मिल सकेगा, अन्यथा नहीं मिल सकेगा। किसी का रुल रहने से या न रहने से, वहां के लोग, वहां के हालात, वहां की पुलिस, वहां का कानून, सब कुछ तो प्रेजीडेंट रुल होने के बाद एकदम से नहीं बदलता है, वहां तो वैसा ही रहता

है, मगर आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो tactics अपनाई हैं, वे सिर्फ terrorists की नहीं रह गई हैं, वे military tactics जैसी हो गई हैं कि अगर एक जगह पर जाना है तो 300-400 लोगों को लेकर जाना है। कोरापुट में वही हुआ, मधुबानी में वही हुआ, जहानाबाद में वही हुआ, झारखंड में वही हुआ। तो उन्होंने ये tactics अपनाई है। एक पुलिस थाने पर पुलिस के 10 जवान होते हैं, 10 हथियार भी हो सकते हैं। वहां पर अगर 400 लोग आ जाएं तो क्या करना है, उस दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं और हमने यह भी तय किया है कि वहां के पुलिस स्टेशनों पर हथियार कैसे रखे जाने चाहिए और छोटे-छोटे पुलिस स्टेशनों के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। आपने जो कहा है, वह बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर विचार किया गया है, आगे भी हम विचार कर रहे हैं और उस दृष्टि से कदम उठाना जरूरी है।

श्री सभापति: गृह मंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मेंबर्स इस मामले की जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप उचित समझें तो प्रांतवार या पार्टीवार मेंबर्स को बुलाकर, इस विषय पर उनको ब्रीफ कर दें, तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में आपको मदद मिलेगी, मैसेज देने में भी मदद मिलेगी और सबकी जो उत्सुकता बनी हुई है, उसमें भी थोड़ी कमी आएगी।

श्री शिवराज वी. पाटिल: सभापति जी, आपका जो कहना है, हम उसे मान लेंगे, मगर पिछली बार जब हमने ऐसा किया था, बहुत तैयारी हमने की थी, लेकिन बहुत कम लोग आए थे, केवल 10-15 लोग ही आए थे और उनमें हमारे लोग ही ज्यादा थे। अगर सदन में इसके बारे में चर्चा हो जाए, तो अच्छा है, क्योंकि सदन में लोग रहते हैं। आप जैसा बोलें, हम वैसा कर लेंगे।

श्री सभापति: आप करिए, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है जिस समय भी मंत्री जी मीटिंग बुलाएं, माननीय सदस्य वहां जाकर देखें कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: हम कर लेंगे।

Procurement made by DGS and D for WB/ADB aided projects

*402. SHRI S.P.M. SYED KHAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of procurement made by DGS and D for World Bank/ Asian Development Bank aided projects for the last three years and also the purchases effected in terms of indents, number of contracts and the value of contracts placed for the last three years;